



2026:AHC:67202

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण सं. - 2198 वर्ष 2026

राहुल कुमार पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: राजीव शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: आशियाम नासिर, शासकीय अधिवक्ता, शबीना बेगम

न्यायालय सं - 86

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुभाष चंद्र शर्मा

सूचनाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुश्री शबीना बेगम पेश हुईं और कहा कि उन्होंने कल रजिस्ट्री में अपना वकालतनामा दायर किया।

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ सूचनाकर्ता के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया। इस आपराधिक पुनरीक्षण को इस संशोधन की अनुमति देने और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), जिला रामपुर द्वारा पारित दिनांक 22.12.2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना के साथ पेश किया गया है। यूपीआरपी 01-0082032025 अपराध संख्या-185 वर्ष 2025 में, धारा 333/65(1) भ०द०वि० और धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम, थाना-अजीम नगर, जिला रामपुर के तहत और आगे का आदेश पारित करने और संबंधित न्यायालय को उपरोक्त मामले में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को अस्वीकार करने का निर्देश दें।

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जिसके संबंध में राहुल कुमार द्वारा थाना में धारा 333/65(1) बी.एन.एस. और धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि यह घटना 12.08.2025 को हुई थी और प्राथमिकी 10.09.2025 को दर्ज की गई थी। आगे प्रस्तुत किया गया कि जांच के दौरान पीड़िता का बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 द्वारा किए गए बलात्कार के आरोप का समर्थन किया था। पीड़िता का बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष भी दर्ज किया गया था, जिसमें उसने फिर से एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप का समर्थन किया था कि प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कथित घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 14 वर्ष थी और वह अपने बुआ के घर में थी जहां घटना हुई थी और उसके बुआ के बेटे द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आगे प्रस्तुत किया गया है कि जांच के बाद विवेचनाधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी, जिस पर सूचनाकर्ता द्वारा विरोध आवेदन दायर किया गया था, लेकिन संबंधित अदालत ने प्राथमिकी की सामग्री और पीड़िता के बयानों पर विचार नहीं किया, जैसा कि विवेचनाधिकारी के समक्ष धारा 180 बी.एन.एस.एस. और यू/एस. 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किया गया था, विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष और अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए विरोध आवेदन को खारिज कर दिया गया, केवल इस आधार पर कि सूचनाकर्ता को बलात्कार के अपराध के लिए उसकी भाभी द्वारा दायर एक मामले में दर्ज किया गया था, जिसमें वह जेल गया और जमानत पर रिहा हो गया। प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 उसकी भाभी के सगे भाई हैं। प्रतिशोध में, प्रस्तुत मामला सूचनाकर्ता राहुल कुमार द्वारा दर्ज किया गया था। इस स्तर पर पीड़िता के बयान को झूठा नहीं कहा जा सकता है और बलात्कार के बयान को अन्य गवाहों के बयानों के साथ भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है जो उस दिन घटना स्थल पर उस घर में मौजूद नहीं थे जहां घटना हुई थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि संबंधित अदालत ने विरोध आवेदन को शिकायत के रूप में माना होगा और फिर कानून के अनुसार आगे बढ़ाया होगा, लेकिन अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के आदेश को सही और उचित नहीं कहा जा सकता है जहां पीड़िता के बयान बरकरार हैं, इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2025 के पारित आदेश को रद्द करने और पुनरीक्षण की अनुमति देने का अनुरोध करें।



अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 के अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि जांच के दौरान उचित जांच की गई थी और प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 द्वारा पीड़ित के साथ ऐसा कोई अपराध नहीं पाया गया था, लेकिन यह राहुल कुमार/सूचनाकर्ता के कहने पर जवाबी कार्रवाई में था, जिसे प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 की बहन के साथ बलात्कार करने के अपराध में जेल भेजा गया था। संबंधित न्यायालय ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा और पीड़िता के पिता और अन्य गवाहों के हलफनामे को भी ध्यान में रखा गया, जो विवेचनाधिकारी को दिए गए थे, जिसमें उन्होंने पीड़ित के साथ ऐसी घटना करने से इनकार किया था। जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 के खिलाफ कोई अपराध नहीं पाया गया। धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत पीड़िता के बयान, जैसा कि विवेचनाधिकारी के साथ-साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया है, अपुष्ट है क्योंकि इस संबंध में कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है और कोई अन्य सबूत नहीं है। विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार किया है और फिर विचाराधीन आदेश पारित किया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 के अधिवक्ता द्वारा अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ अभिलेखों का अवलोकन, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2025 को पारित आदेश, प्राथमिकी की सामग्री और विवेचनाधिकारी के साथ-साथ विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि सूचनाकर्ता के घर में प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है, जो पीड़िता के बुआ का बेटा है। केवल इस तथ्य के आधार पर कि प्राथमिकी राहुल कुमार द्वारा दर्ज की गई है, जिसे बलात्कार के एक मामले में जेल भेजा गया था और प्राथमिकी जो उसकी भाभी द्वारा दर्ज की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीड़िता खुद झूठ बोल रही है और उसका बयान पूरी तरह से झूठा है क्योंकि वह बलात्कार के अपराध का शिकार है जैसा कि उसने कहा है।



इस न्यायालय की सुविचारित राय में, इस स्तर पर स्वयं पीड़िता के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और घटना से संबंधित सभी तथ्य उसके ज्ञान में हैं, इसलिए, विचारण न्यायालय ने विरोध आवेदन को खारिज करने और अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने के स्थान पर शिकायत के रूप में माना होगा क्योंकि अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ विरोध आवेदन से निपटने के दौरान इस विकल्प का प्रयोग किया जाना था।

इस प्रकार, दिनांक 22.12.2025 के आदेश को एतद्वारा **रद्द/अपास्त** किया जाता है और विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह सूचनाकर्ता द्वारा दायर विरोध आवेदन को शिकायत के रूप में माने और कानून के अनुसार आगे बढ़े।

तदनुसार, इस आपराधिक पुनरीक्षण की **अनुमति** है।

मार्च 31, 2026

अशोक गुप्ता

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)